

कार्यालय-मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून ।

(अनाधिकृत निर्माण/विकास कार्य के सील/ध्वस्तीकरण हेतु आदेश)

पत्रांक : 3300 / वाद सं० आर-1269/एस-9/2024

दिनांक: 4-11-2025

श्री अनिल/भू-स्वामी,
कण्डोली रोड़ नियर लिवेश लिविंग हॉस्टल,
देहरादून।

आपके द्वारा उपरोक्त स्थल पर लगभग 40 गुणा 50 फीट के क्षेत्रफल पर बिना स्वीकृत मानचित्र के एस+3 आवास का निर्माण कार्य किया जा रहा है। अनाधिकृत निर्माण कार्य किये जाने के कारण प्राधिकरण द्वारा उत्तराखण्ड (उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम-2009, की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत करते हुये वाद सं० आर-1269/एस-9/2024 योजित किया गया।

उपरोक्त वाद में दिनांक 21.12.2024 को उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम-2009 की धाराओं के अन्तर्गत आपको "कारण बताओ नोटिस" प्रेषित किया गया।

उक्त नोटिस के द्वारा आपको अवगत कराया गया कि, आप द्वारा किये जा रहे उपरोक्त अनाधिकृत निर्माण में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 26.12.2024 की तिथि नियत की गयी, नियत तिथि पर विपक्षी अनुपस्थित रहे। क्षेत्रीय अभियन्ता की आख्या दिनांक 28.10.2025 अनुसार विपक्षी द्वारा स्थल पर लगातार निर्माण कार्य कराया जा रहा है, स्वीकृत/शमन मानचित्र प्राधिकरण में प्रस्तुत नहीं किया गया है। विपक्षी द्वारा जानबूझ कर नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है, जो कि न्यायोचित नहीं है। अतः चालानशुदा अनाधिकृत निर्माण में सील/ध्वस्तीकरण कार्यवाही के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प शेष नहीं रह जाता है। इसी क्रम में आपके द्वारा किये गये चालानशुदा अनाधिकृत निर्माण को सील किये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं।

-आदेश-

अतः श्री अनिल/भू-स्वामी कण्डोली रोड़ नियर लिवेश लिविंग हॉस्टल, देहरादून द्वारा उपरोक्त वर्णित पते/स्थल पर लगभग 40 गुणा 50 फीट के क्षेत्रफल पर बिना स्वीकृत मानचित्र के एस+3 आवास का निर्माण कार्य किया जा रहा है। अनाधिकृत निर्माण कार्य करने के कारण उत्तराखण्ड (उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम 2009, की सुसंगत धाराओं का उल्लंघन किया जा रहा है। अतः चालानशुदा निर्माण को सील किये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं। उक्त अनाधिकृत निर्माण को दिनांक 13/11/25 को सील किया जाना है। आदेश की प्रति स्थल पर चस्पा हो तथा एक प्रति विपक्षी को तामिल की जाय। तदनुसार सूचित हो।



Saurin Kohli
श्री सचिव-आदेश

पीठासीन अधिकारी/सयुक्त सचिव
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण
देहरादून।